5/2/2021 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता
वादी उपस्थित। अधिवक्ता वादी श्री
होकर अभिशंका पर Not Press
अंकित कर कार्यवाही नहीं चाहने
का निवेदन किया गया। पत्रावली
का अवलोकन किया। मनन किया।
अधिवक्ता वादी द्वारा अन्य
वाद पत्र में कार्यवाही नहीं चाहने
का निवेदन किया गया है।
ऐसी स्थिति में अधिवक्ता वादी
का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-
89-188 को विलोप में खारिज
किया जाता है। अदेश खुले न्यायालय
में सुनाया गया। पत्रावली
की गणना निर्णीत इन्द्राज की जाकर
वाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार
भेजी जावे।

Not Press
पेश
म

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Sharma
Date: 2021.02.22 12:12:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

Scanned by CamScanner